राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 923/2011/चित्तौड़गढ़
2. अपील संख्या – 924/2011/चित्तौड़गढ़
3. अपील संख्या – 925/2011/चित्तौड़गढ़

मैसर्स निसार अहमद,
173 कुम्भा नगर, चित्तौडगढ़। ....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स एण्ड़ लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा। ....प्रत्यर्थी

4. अपील संख्या – 926/2011/चित्तौड़गढ़
5. अपील संख्या – 927/2011/चित्तौड़गढ
6. अपील संख्या – 928/2011/चित्तौड़गढ
7. अपील संख्या – 929/2011/चित्तौड़गढ
8. अपील संख्या – 930/2011/चित्तौड़गढ़

मैसर्स शिव कुमार शर्मा, ...अपीलार्थी.
35/16, कुम्भा नगर, चित्तौडगढ़।

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स एण्ड़ लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा। ....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री अमर सिंह –सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी.के.पारीक,
अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन.एस.राठौड़,
उपराजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 13/02/2014

निर्णय

1. ये अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **"अपीलय अधिकारी"** कहा जायेगा) के अपील संख्या 100, 101, 102, 106, 107, 108, 109 एवं 110/वैट/09–10 में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 03.12.2010 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं।

2. आठों अपीलों में विवादित बिन्दु एक समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जावेगी।

3. प्रकरणों के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) ने अपीलकर्ताओं द्वारा मुक्ति शुल्क चाहने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र फार्म WT- 1 को निरस्त कर दिया गया। कर निर्धारण अधिकारी के इन आदेशों के विरूद्ध अपीलकर्ताओं द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने संयुक्त आदेश दिनांक 03.12.2010 के द्वारा अपीलकर्ताओं की अपीलें

लगातार.....2

अस्वीकार कर दी गई। अपीलीय अधिकारी के इस संयुक्त आदेश के विरूद्ध अपीलकर्ताओं द्वारा यें द्वितीय अपीलें प्रस्तुत की गई है। जिनका विवरण निम्न अनुसार है :–

अपील संख्या	क0नि0वर्ष	आदेश दिनांक	विवादित कुल विक्रय राशि
923/2011	02.02.07	23.07.09	2,57,172
924/2011	05.06.07	23.07.09	5,06,280
925/2011	13.11.07	23.07.09	4,82,000
926/2011	24.02.07	23.07.09	43,05,000
927/2011	04.01.07	23.07.09	1,81,350
928/2011	16.05.06	23.07.09	7,62,675
929/2011	27.05.06	23.07.09	6,10,200
930/2011	04.01.07	23.07.09	2,39,980

अपीलकर्ताओं द्वारा उपरोक्त राशि अनुसार इन अपीलों में विवादित किया गया है।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि उक्त अपीलों में राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ12(63)एफडी/टैक्स/2005/80 दिनांक 11.08.2006 में दिनांक 09.03.2010 से संशोधन प्रार्थना पत्र शुल्क सहित जमा कराने की अवधि 2 वर्ष कर दी गई थी। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नियम 48 में अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के तहत पारित किये गये आदेश विधिसम्मत नहीं है। चूंकि कर दायी ने पंजीयन पीछे से दिया था एवं पंजीयन प्राप्त करते ही WT-1 में प्रार्थना पत्र कर निर्धारण अधिकारी को पेश कर दिया था जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने इस आधार पर अस्वीकार कर दिया था कि वह एक वर्ष के बाद पेश किये गये थे। अपीलीय अधिकारी ने भी कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को यथावत रखते हुए मुक्ति शुल्क का विकल्प के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया गया। उनका निवेदन था कि अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार की जावें।

6. विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।

7. दोनों पक्षों की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन एवं अधिसूचना नं. एफ12(63)एफडी/टैक्स/2005–80 दिनांक 11.08.2006 Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act. No. 4 of 2003) का अध्ययन किया जिसके अनुसार :–

लगातार 3

(1.) that in case of works contracts.

(i.) awarede on or after 01.04.2006, the contractor shall apply in form WT-1; and

(ii.) where the contractor opted for automatic exemption fee under rule 12 of Rajasthan Sales Tax Rules, 1995 shall apply for exemption under this notification for the remaining part of the contract as on April 1, 2006 in form WT-2.

(2.) that application shall be submitted within 30 days from the date of award of the contract or the date of issue this notification, whichever is later :

(3.) that in case of delayed submission of the application, the assessing authority may, after recording reasons for doing so, condone the delay, on payment of a late fee of rupees one thousand for a year or part thereof. No such application shall be entertained after expiry of the year from the date of the award of the contracts:

उक्त अधिसूचना में स्वयमेंव में क्लॉज 3 में स्पष्ट लिखा है कि ठेका प्राप्त करने के एक वर्ष बाद करमुक्ति आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेगा। इसमें संशोधन दिनांक 09.03.2010 से हुआ है जो कि यहॉ पर लागू नहीं होता है। चूंकि मुक्ति शुल्क प्रार्थना पत्र संशोधन पूर्व के थे।

8. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवसायीयों द्वारा प्रस्तुत आठों अपीलें अस्वीकार की की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी के संयुक्त आदेश दिनांक 03.12.2010 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

13-2-14

(अमर सिंह)
सदस्य